

अनुमति यही शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (प्राणिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरीय के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खंडकी केवल आवासीय तृतीयवर्ष

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 83 दिनांक 14/05/2019

प्राचीन श्रीमती राजिया खानो W/O श्री कमठदीन @ कमठदीन

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 1,500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 1005/2261/2260

दिनांक 14/05/19 को जमा करा दी है ।

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

श्री कमठदीन @ कमठदीन
P-No: 205-A 4 विंगी आवासीय
एल आर जी प्रॉपर्टी लिमिटेड
चौपालनी रोड

प्रति +)
आवासीय

6262